

कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद बुलन्दशहर।

संदर्भ-प्रकीर्ण आदेश संख्या- 743 दिनांक 17-05-2024

विज्ञप्ति

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या 1538/एसएलएसए 37ए/2010 दिनांकित मई 06, 2024 के अनुपालन में जनपद बुलन्दशहर में स्थापित ए०डी०आर० सेन्टर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर में निम्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक मानदेय की धनराशि (रु० में)
1.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक)	02	10730/- रुपये प्रतिमाह

शैक्षिक योग्यता- इण्टरमीडिएट या समकक्ष, हिन्दी टंकण का ज्ञान (25 शब्द प्रति मिनट), अंग्रेजी टंकण व कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जायेगी।

उम्र- आवेदक की आयु 30 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष से कम न हो व 35 वर्ष से अधिक न हो।

तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक) संविदा पदों हेतु सृजित किये गये पदों का कार्यकाल एक वर्ष होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में स्थित ए.डी.आर. भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के कार्यालय में दिनांक 27.05.2024 सायं 05.00 बजे तक जमा करना होगा। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र मय शैक्षणिक योग्यता उक्त कार्यकाल में उक्त नियत दिनांक तक प्राप्त हो जायेंगे, व जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र वैध पाये जाते हैं, उन अभ्यर्थियों का दिनांक 01.06.2024 को साक्षात्कार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर के विश्राम कक्ष में प्रातः 10.00 बजे से लिया जायेगा और जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, उनको अलग से साक्षात्कार की नियत दिनांक के लिये उनके द्वारा दिये गए आवेदन-पत्र में दिये गये मोबाईल नंबर/ई-मेल पर सूचित भी किया जायेगा व साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई टी.ए./डी.ए. नहीं दिया जायेगा।

संलग्नक-आवेदन पत्र का प्रारूप

(पंकज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि-

- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यह उक्त विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
- जिलाधिकारी बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक 17.05.2024

(पंकज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद बुलन्दशहर।

